न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 84/2016

अपीलांट –

जुंझाराम पुत्र आदुराम जाति जाट
निवासी धनाऊ तहसील चौहटन

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार चौहटन
2. आदूराम पुत्र हरखाराम जाति जाट निवासी धनाऊ तहसील चौहटन
3. ज्वाराराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी कृष्ण का तला तहसील सेड़वा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 913 जो दिनांक 24.08.2016 को तहसीलदार चौहटन द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित।
2. श्री विष्णु चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. सं. 2 व 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 13.02.2023

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम धनाऊ के नामान्तरकरण सं. 913 पर तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 24.08.2016 के विरूद्ध दिनांक 19.09.2016 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा धनाऊ के खसरा नम्बर 754/677 रकबा 21–18 बीघा भूमि के आदूराम वल्द हरखाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त खातेदार ने अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि का बेचान रेस्पोडेंट संख्या 3 को कर दिया जिस पर तहसीलदार चौहटन द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 913 दिनांक 24.08.2016 पारित किया गया। अपीलांट ने तहसीलदार चौहटन के उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा रेस्पोडेंट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना। अपीलांट ने अपील मीमों में प्रकट किया कि अपीलांट के पिता रेस्पोडेंट संख्या 2 को अपीलाधीन खेत खसरा संख्या 754/677 रकबा 21–18 बीघा भूमि परिवार के सदस्यों के पालन–पोषण हेतु राज्य सरकार से निःशुल्क आवंटन की थी जिससे अपीलांट को उक्त भूमि पर अधिकार उसके जन्म से ही प्राप्त हो गये थे। उक्त विवादित आराजी में अपीलांट अपने हिस्से पर काबिज है एवं मौके पर टांके व ढाणियां बनाकर काबिज है। चूंकि उक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 को उसके परिवार के पालन–पोषण हेतु निःशुल्क आवंटित की गई थी इसलिये उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अकेले अपीलांट के पिता रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम ही दर्ज थी जिसका बेचान रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 3 के पक्ष में कर दिया गया है। अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी प्रकट किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 एसडीओ एवं सहायक कलक्टर चौहटन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो अभी तक विचाराधीन है एवं सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा दिनांक 24.08.2016 को उक्त विवादित आराजी में मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश जारी कर रखा है। अपीलांट का यह भी कथन है कि तहसीलदार चौहटन द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने में कानून व नियमों की अनदेखी की है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 5(21)राज–4/80/35 दिनांक 07.09.1982 के अनुसार नामान्तरकरण को तस्दीक करने की शक्तियां संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदत्त की गईं हैं एवं यदि 45 दिवस तक संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तो शक्तियां संबंधित तहसीलदार को हस्तान्तरित हो जाती है एवं नामान्तरकरण संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। इसके विपरीत हस्तगत प्रकरण में उक्त नामान्तरण संबंधित ग्राम पंचायत के समक्ष तस्दीक हेतु पेश ही नहीं हुआ है। लिहाजा उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 913 दिनांक 24.08.2016 विधि–विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

5. रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम से ही दर्ज है, इस कारण उसे अपनी खातेदारी की भूमि का बेचान करने का पूर्ण हक है। अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने में भी विधिसम्मत समस्त प्रक्रिया का पालन पूर्णतया से किया गया है। लिहाजा अपीलांट की अपील निराधार एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. हमने अपीलांट के अपील मीमों में प्रकट तथ्यों एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा धनाऊ के खसरा नम्बर 754/677 रकबा 21–18 बीघा भूमि के आदूराम वल्द हरखाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त खातेदार ने अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि का बेचान रेस्पोडेंट संख्या 3 को कर दिया जिस पर तहसीलदार चौहटन द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 913 दिनांक 24.08.2016 पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील में अभिकथित एसडीओ चौहटन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2016 जिसमें मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश जारी किया गया था, वह तहसीलदार चौहटन को समक्ष प्रस्तुत करने संबंधी कोई साक्ष्य दस्तावेज नहीं उपलब्ध करवाये गये हैं। जहां तक अपीलांट का कथन है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण संबंधित ग्राम पंचायत के समक्ष तस्दीक हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ तो प्रस्तुत अपीलाधीन मूल नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट पाया जाता है कि हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 08.01.2016 को अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज किया गया जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 09.01.2016 को अपनी टिप्पणी अंकित की है। इसके पश्चात तहसीलदार द्वारा करीबन 7 माह बाद दिनांक 24.08.2016 को अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है जो कि विधिक प्रक्रिया एवं नियमों के अन्तर्गत सही है। विवादित भूमि रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम आवंटन हुई है तथा उसकी खातेदारी में दर्ज हुई है, ऐसे में अपीलांट की पैतृक भूमि होने का कथन मानने योग्य नहीं है। इस प्रकार तहसीलदार चौहटन द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर